न्यायालय संभागीय आयुक्त भरतपुर

अपील संख्याः—27 / 2019 (18 आयुध अधिनियम 1959)(R.C.M.S . no 2019/00031)

आशाराम पुत्र बदनसिंह जाति गुर्जर निवासी विरजापुर थाना मनिया जिला धौलपुर।

.....अपीलान्ट

बनाम

कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट धौलपुर (राज0)

.....रैस्पोडेन्ट

अपील अंतर्गत धारा 18 आयुध अधिनियम 1959 विरूद्ध निर्णय कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट धौलपुर दिनांक 10.9.2018 बाबत निरस्त करने शस्त्र अनुज्ञापत्र नम्बर 9 / 2000

उपस्थितिः—

1. श्री पंकज कुमार वकील अपीलान्ट।
2. सहायक लोक अभियोजक भरतपुर।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

निर्णय

दिनांकः 09.08.2019

यह अपील आयुध अधिनियम 1959 की धारा 18 के अन्तर्गत कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट धौलपुर के निर्णय दिनांक 10.9.2018 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है। संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से हैं कि अनुज्ञाधारी का शस्त्र अनुज्ञापत्र दिनांक 31.12. 2016 तक नवीनीकृत था। अपीलान्ट ने आगामी वर्षों के लिये नवीनीकरण कराने हेतु दिनांक 14.12.2016 को आवेदन पत्र प्रस्तुत किया था। इस संबध में कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट धौलपुर द्वारा जिला पुलिस अधीक्षक धौलपुर से रिपोर्ट ली गई । जिला पुलिस अधीक्षक धौलपुर ने अपनी रिपोर्ट क्रमांक 5580 दिनांक 27.12.2016 पेश की, जिसमें अपीलान्ट के खिलाफ दो आपराधिक मुकदमों का जिक्र करते हुये

अनुज्ञापत्र को नवीनीकरण नही किये जाने की अनुशंसा की है। कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट धौलपुर ने उक्त रिपोर्ट के आधार पर अपीलाधीन आदेश दिनांक 10.9. 2018 पारित करते हुये अपीलान्ट का शस्त्र अनुज्ञापत्र निरस्त कर है। इस आदेश के विरूद्ध यह अपील प्रस्तुत की गई है।

वकील अपीलान्ट द्वारा अपनी बहस में अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि तहत अदालत का आदेश खिलाफ कानून रूयेदाद मिसिल है जो काबिले मंसूखी है। यह कि अधीनस्थ न्यायालयने आज्ञा देने से पूर्व अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत जबाब का कतई अवलोकन नहीं किया। अपीलान्ट के शस्त्र को जिन मुकदमों के आधार पर नवीनकरण नहीं किया गया है उन मुकदमों में अपीलान्ट क्रमशः दिनांक 15.2.2001 व 18.11.2001 को वरी हो चुका है। इन मुकदमों के निस्तारण के बाद अपीलान्ट के शस्त्र अनुज्ञापत्र को 5 बार नवीनीकरण हो चुका है। अधीनस्थ न्यायालय ने इतने पुराने मुकदमों को आधार बनाकर अपीलान्ट का शस्त्र अनुज्ञापत्र निरस्त किया है वह आज्ञा काबिले मंसूखी है। यह कि तहत अदालत ने मात्र संभावनाओं के आधार पर अपीलान्ट के शस्त्र अनुज्ञापत्र को नवीनीकरण नहीं किया गया है । शस्त्र के दुरूपयोग होने की संभावना के कारण शस्त्र अनुज्ञापत्र को निरस्त किया है जबकि संभावना के आधार पर शस्त्र अनुज्ञापत्र को निरस्त किया जाना न्यायोचित नहीं रहता है। जबकि अनुज्ञापत्र जारी होने के दिनांक से आज दिनांक तक अपीलान्ट द्वारा अनुज्ञापत्र की समस्त शर्तों की नियमानुसार पालना की गई है। कभी भी शस्त्र का दुरूपयोग भी नहीं किया है। तहत अदालत ने जबाब में अंकित महत्वपूर्ण तथ्य को नजर–अंदाज करके अहम कानूनी भूल की है। अपीलान्ट एक शांतिप्रिय सामाजिक व्यक्ति है। जिसने कभी भी अपने शस्त्र का दुरूपयोग नहीं किया है न ही भविष्य में कोई मंशा रखता है। तहत अदालत द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है जो न्याय संगत नहीं है जिससे अपीलान्ट को सख्त हक–तलफी पैदा हो गई है। चूंकि अपीलधीन आदेश न्याय, नियम, रिकार्ड, तथ्यों से परे एकतरफा में अपीलान्ट की बैक पर पारित किया गया था जिसका इल्म दिनाक 20.1.2019 को होते ही अपीलान्ट ने नकल के लिये प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जिसकी नकल दिनांक 28.1.2019 को प्राप्त हुई। अतः तारीख जानकारी से अपील प्रस्तुतीकरण में हुई देरी को माफ किया जाकर अपील अन्दर मियाद शुमार किया जावे जिसके लिये पृथक से प्रार्थना पत्र दफा–5 मियाद

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

अधिनियम मय शपथ पत्र संलग्न किया गया है। अन्त में वकील अपीलान्ट द्वारा निवेदन किया गया कि अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का अपीलधीन निर्णय दिनांक 10.9.2018 निरस्त किया जावे तथा अपीलान्ट के शस्त्र अनुज्ञापत्र को बहाल किये जाने के आदेश दिये जावे।

विद्वान सहायक लोक अभियोजक द्वारा अदालत जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट धौलपुर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 10.9.2018 की ताईद करते हुये कथन किया गया कि तहत अदालत द्वारा विधिवत कानूनी प्रकिया अपनाई जाकर ही अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। जिसमें कतई किसी प्रकार के कोई हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं रहती है। अपीलान्ट का अनुज्ञापत्र दिनांक 31.12.2016 तक नवीनीकृत था। अपीलान्ट ने आगामी वर्षों के लिये नवीनीकरण कराने हेतु दिनांक 14.12.2016 को आवेदन पत्र प्रस्तुत किया था। इस संबध में कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट धौलपुर द्वारा जिला पुलिस अधीक्षक धौलपुर से रिपोर्ट ली गई । जिला पुलिस अधीक्षक धौलपुर ने अपनी रिपोर्ट क्रमांक 5580 दिनांक 27.12.2016 में अंकित किया कि अपीलान्ट के विरूद्ध दो प्रकरण दर्ज है (1) मु0नं0 238/01 धारा 147,148,323,341,325 आईपीसी चार्जशीट नं0 159 दिनांक 28.7.2001 जिसमें न्यायालय द्वारा फैसला दिनांक 18.11.2002 को राजीनामा होने का रिकार्ड में इन्द्राज है। (2) मु0नं0 470/97 धारा 323,341 आईपीसी चार्जशीट नं0 355 दिनांक 31.12.1997 जिसमें न्यायालय द्वारा फैसला दिनांक 15.2.2001 को राजीनामा होने का रिकार्ड इन्द्राज है। आवेदक/अपीलान्ट के खिलाफ आपराधिक प्रकरण दर्ज होने के कारण शस्त्र अनुज्ञापत्र नवीनीकरण किये जाने की अनुशंषा नहीं की गई है। संदिग्ध आचारण वाला व्यक्ति शस्त्र धारण हेतु पात्र नहीं है। जिला पुलिस अधीक्षक धौलपुर की रिपोर्ट को मध्यनजर रखते हुये तथा शस्त्र के दुरूपयोग की संभावना तथा कानून व्यवस्था एवं लोक शांति बनाये रखने के दृष्टिगत तहत अदालत द्वारा बखूबी न्यायसंगत आदेश पारित किया गया है जो उचित है। इसके अलावा यह अपील मियाद बिन्दु पर भी खारिज योग्य रहती है क्यों कि अपीलान्ट ने कोई तथ्यात्मक कारण अपने दफा–5 प्रार्थना पत्र में अंकित नहीं किये गये है। लिहाजा अपील अपीलान्ट खारिज करते हुये तहत अदालत कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट धौलपुर का आदेश दिनांक 10.9.2018 यथावत रखा जावे।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

हमने वकील अपीलान्ट की बहस तर्कों पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। अपील में प्रथमतः प्रार्थना पत्र म्याद अधिनियम धारा–5 पर विचार किया गया। आर.आर.डी. 2002 पेज 37 में माननीय उच्च न्यायालय ने प्रतिपादित किया है किः–

> "Limitation Act,1963 Section 5&While considering the question of condonation of delay in filing of revision , appeal or reference by state Govt. the Court,Tribunal or Authority has to first consider merits of the matter and where there is good case on merits the rule is to condone result in public mischief on skilful management of delay in the process of filing appeal etc. and public at large
> would be sufferer that makes a distinction and category of litigant state as compared to ordinary litigants"

तथा आर0बी0जे0 (4) 1997 पेज 257, माननीय राजस्व मण्डल अजमेर ने प्रतिपादित किया है कि–
"Liberal view should be Taken in Condoning The Delay in Filling The appeal"

इस प्रकार प्रकरण के गुणावगुण पर विचार कर निर्णय किया जाना उचित पाते है। अतः अपील प्रस्तुतीकरण में हुई देरी के संदर्भ में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दफा–5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाता है। अपीलान्ट का शस्त्र अनुज्ञापत्र नियमानुसार दिनांक 31.12.2016 तक नवीनीकृत था, जिसे आगामी वर्षों के लिये नवीनीकरण कराने हेतु दिनांक 14.12.2016 को आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है। कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट धौलपुर द्वारा दौराने नवीनकरण कार्यवाही जिला पुलिस अधीक्षक धौलपुर से रिपोर्ट क्रमांक 27.12.2016 प्राप्त की गई। तहत अदालत द्वारा संभवतः स्वयं की ओर से कोई जांच न करते हुये उक्त रिपोर्ट में अंकित मु0सं0 238/01 एवं 470/97 का हवाला देते हुये अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। हमारी विनम्र राय में एक अनुज्ञाधारी का शस्त्रधारक बने रहने का मुख्य आधार उसका नेक चाल–चलन महत्वपूर्ण होता है। जिला पुलिस अधीक्षक धौलपुर ने भी अपनी रिपोर्ट में ही उक्त दोनों मुकदमों को सक्षम अदालत द्वारा राजीनामा के आधार पर दिनांक 18.11.2002 एवं 31.12.1997 को निर्णित होना स्पष्ट किया है और अपीलान्ट द्वारा इस अवधि में शस्त्र का कोई दुरूपयोग नहीं किया गया है। अपीलान्ट की इस अवधि में आपराधिक पृष्ठभूमि भी शून्य रही है। इसके अलावा अपीलान्ट के चाल–चलन के संबध में भी कोई प्रतिकूल टिप्पणी नहीं की गई है। इसके अलावा सहायक लोक अभियोजक की ओर से भी ऐसा कोई साक्ष्य सबूत पेश नहीं किया गया जिससे यह माना जा सके कि इस निर्णित प्रकरण के अलावा (जो अपीलान्ट के हक में राजीनामा के आधार पर निर्णित किये जा चुके है) कोई अन्य

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

प्रकरण अपीलान्ट के विरूद्ध दायर हुआ हो अथवा विचाराधीन हो। तहत अदालत ने इस निर्णित प्रकरणों को दौराने नवीनीकरण कार्यवाही अपने निर्णय दिनांक 10.9. 2018 में एक लम्बे अर्से के बाद आधार बनाया गया है जो उचित नहीं रहता है। पत्रावली के अवलोकन से यह जाहिर है कि अपीलान्ट के विरूद्ध नवीनीकरण के समय कोई प्रकरण दर्ज नही है। इसके बाबजूद नवीनीकरण क्यों नही किया जा सकता ? तहत अदालत द्वारा इसका विवेचन भी अपने निर्णय में नही किया है और न ही जिला पुलिस अधीक्षक धौलपुर की रिपोर्ट में इस बाबत कोई विवेचना की गई है। तहत अदालत ने अपने अपीलाधीन आदेश के अन्तिम पैरा में अपीलान्ट का आचरण संदिग्ध मानकर कानून व्यवस्था एवं लोकशांति का हवाला देते हुये अपीलान्ट के अनुज्ञापत्र को निरस्त कर दिया गया है जबकि सक्षम अदालत ने उक्त दोनों प्रकणों को निर्णित कर दिया गया है तहत अदालत द्वारा माने गये अपीलान्ट के आचरण संबधी शकशुवा की स्थिति को वास्तविक तथ्यों से रूबरू होते हुये स्पष्ट करने के लिये प्रकरण में हमारे ख्याल से अभी विस्तृत जांच किया जाना अपेक्षित रहता है। ताकि अपीलान्ट के चालचलन की स्थिति को स्पष्ट किया जा सके क्यों कि एक अनुज्ञाधारी का शस्त्रधारक बने रहने का मुख्य आधार उसका नेक चाल–चलन ही मायने रखता है। ऐसी स्थिति में तहत अदालत द्वारा अपीलान्ट के आचरण को संदिग्ध माने जाने का कोई ठोस आधार स्पष्ट नहीं है लिहाजा अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय को स्पीकिंग आर्डर की परिभाषा में नही मानते हुऐ पुनः निर्णय के लिये रिमाण्ड किया जाना उचित समझते हैं।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है अपीलाधीन आदेश दिनांक 10.9.2018 निरस्त किया जाकर प्रकरण इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि अपीलान्ट को सुनवाई व साक्ष्य का समुचित अवसर देकर तथ्यों एवं संभावनाओं के परस्पर विरोधाभास को दूर करते हुये पुनः तार्किक एवं न्याय संगत आदेश पारित करें।

निर्णय आज दिनांक 9.8.2019 को सरे इजलास सुनाया गया।

(चन्द्रशेखर मूथा)
संभागीय आयुक्त
भरतपुर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official